

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
543	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.503) दि. 25-06-2018 (श्री बाला बच्चन)	विधानसभा प्रश्न क्र. 4817 दिनांक 20.03.18 के संदर्भ में प्रकरण की जांच कराई जाना व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	इसकी जांच करा लेंगे और बाकी समय पर काम कराएंगे।		
544	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.11) दि. 25-06-2018 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	सिवनी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की फसलों के हुए नुकसान के दावों का भुगतान किया जाना।	रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 के दावों का भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।		
545	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.7) दि. 25-06-2018 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	विधानसभा क्षेत्र आलोट में विकासखण्ड जावरा अंतर्गत ग्राम भुतेडा में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण की तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य न होने की जांच कराई जाना।	सचिव, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड रतलाम से अनुमोदित ड्राइंग, डिजाइन, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज मांगे गये थे, जो प्रक्रियाधीन हैं।		
546	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.59) दि. 25-06-2018 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सीहोर जिले में फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2017 की फसलों के हुए नुकसान संबंधी दावों का भुगतान कराया जाना।	उत्तरांश (क) अनुसार दावों का भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है।		
547	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.276) दि. 25-06-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	(1) विधानसभा प्रश्न क्र. 540 दि. 27.02.18 के संदर्भ में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति करेली को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के पश्चात प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना। (2) विधानसभा प्रश्न क्र. 540 दि. 27.02.18 के संदर्भ में श्री नागेश सिंह उप संचालक मंडी बोर्ड जबलपुर की जांच शीघ्र कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना। (3) विधानसभा प्रश्न क्र. 540 दि. 27.02.18 के संदर्भ में शिकायतों के प्राप्त जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाना परीक्षणोपरांत कार्यवाही किया जाना।	(1) जांच प्रतिवेदन परीक्षण के उपरांत सचिव मण्डी करेली को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 13.06.18 जारी किया गया है। उत्तर प्राप्त होने के पश्चात गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2) शीघ्र जांचकर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। (3) परीक्षण उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। शेष शिकायतों पर जांच प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
548	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.59 (प्रश्न क्रं.321) दि. 25-06-2018 (श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर)	विधानसभा क्षेत्र खरगापुर की कृषि उपज मंडी समिति पलेरा में पंजीकृत 30 किसानों को भावांतर की राशि का भुगतान कराया जाना ।	कृषि उपज मंडी समिति पलेरा में 30 पंजीकृत किसानों के बैंक खाते गलत होने से भावांतर की राशि प्रदान नहीं की जा सकी है जिनके शीघ्र भुगतान की कार्यवाही जिले स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।		
549	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.87 (प्रश्न क्रं.483) दि. 25-06-2018 (कुँवर सौरभ सिंह)	कटनी जिले में रबी 2016-17 फसल की 78 पटवारी हल्कों में क्षतिपूर्ति की गणना बीमा कंपनी स्तर पर कराया जाना ।	शेष 78 पटवारी हल्कों की क्षतिपूर्ति की गणना बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।		
550	अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्रं.279) दि. 25-06-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	विधानसभा प्रश्न क्र. 2145 दि. 20.03.2018 के संदर्भ में परिशिष्ट में उल्लेखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं । जांच निष्कर्ष में गुण-दोषों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।		
551	अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.506) दि. 25-06-2018 (श्री बाला बच्चन)	बड़वानी जिले में रबी 2016-17 एवं खरीफ 2017 की फसलों को हुए नुकसान के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम की गणना व भुगतान किया जाना ।	दावों की गणना एवं भुगतान बीमा कंपनी स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

राजस्व विभाग

दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
552	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.104) दि. 25-06-2018 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	प्रदेश के राजस्व नक्शों में आकृति संबंधी त्रुटि सुधार हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण कर त्रुटि सुधार के लिए समय-सीमा निर्धारित किया जाना ।	(1) हम इस पर विचार करेंगे । (2) विधायक जी ने जो कहा है उसे देखेंगे । जितना संभव हो सकेगा उसका सरलीकरण, हम लगातार कर रहे हैं ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
553	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.423) दि. 25-06-2018 (श्री रामनिवास रावत)	जिला श्योपुर के विजयपुर में बायपास निर्माण के प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण कराया जाना ।	प्राक्कलन का तकनीकी परीक्षण प्रक्रियाधीन है ।		
554	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.367) दि. 25-06-2018 (श्री रामलाल रौतेल)	जिला अनूपपुर अंतर्गत अनूपपुर से जैतपुर मार्ग में स्थित रेल्वे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण हेतु भू-अर्जन की कार्यवाही की जाना ।	भू-अर्जन की कार्यवाही प्रगति पर है ।		
555	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.224) दि. 25-06-2018 (श्री नारायण सिंह पँवार)	जिला राजगढ़ के ब्यावरा नगर में अजनार नदी पर पुल निर्माण के प्राक्कलन की राशि बजट में सम्मिलित किया जाना ।	बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
556	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.250) दि. 25-06-2018 (श्री जसवंत सिंह हाड़ा)	विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर अंतर्गत बोरसाली से झुण्डाखेड़ा मार्ग के एक रेखण में संशोधन कर मार्ग को मखावद टिटोडीखेड़ा मुख्य सड़क से जोड़ने के शासन स्तर पर परीक्षणाधीन प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण कर कार्य प्रारंभ किया जाना ।	शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है ।		
557	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.265) दि. 25-06-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	विधानसभा प्रश्न क्र. 4699 दि. 20.03.2018 एवं 2361 दि. 04.12.2017 के संदर्भ में रीवा संभाग में सड़कों के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रचलन में है ।		
558	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्रं.382) दि. 25-06-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	जावरा शहर के मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर अंडर ब्रिज एवं फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण से प्रभावित होने वाले स्थलों हेतु मुआवजे के प्रावधान का भू-अर्जन अधिकारी द्वारा शीघ्र परीक्षण कराया जाना ।	जी हों । भू-अर्जन अधिकारी के पास परीक्षणाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
559	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.77 (प्रश्न क्रं.442) दि. 25-06-2018 (श्री सुखेन्द्र सिंह)	विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अंतर्गत हनुमना-चौराघाट-चाकघाट मार्ग के उन्नयन एवं लटियार-हनुमना मार्ग के भाग निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन कराया जाना ।	प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है ।		
560	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.216) दि. 25-06-2018 (श्री निशंक कुमार जैन)	जिला विदिशा के बासौदा में बायपास रिंग रोड निर्माण हेतु निर्धारित तिथि पर ठेकेदार द्वारा सर्वे इन्वेस्टिगेशन एवं डी.पी.आर. प्रस्तुत न किए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
561	अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.263) दि. 25-06-2018 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के विधान सभा क्षेत्र लहार अंतर्गत हाईस्कूल जखौली के भवन निर्माण हेतु पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाना ।	पुनः निविदा की कार्यवाही की जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
562	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्र.283) दि. 25-06-2018 (श्री नीलांशु चतुर्वेदी)	प्रदेश में एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना ।	जी हों । प्रस्तावित अधिनियम से संबंधित विधेयक वरिष्ठ सचिव समिति के अनुमोदन पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
563	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.455) दि. 25-06-2018 (श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे)	विधानसभा क्षेत्र अटेर के 570 शासकीय विद्यालयों में वर्ष 2018 के अंत तक विद्युत से जोड़ा जाना एवं क्षेत्रान्तर्गत शासकीय विद्यालयों के 33 मरम्मत योग्य शौचालयों की मरम्मत राशि जारी किया जाना।	माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि जितने हाईस्कूल एवं हायर सेकेंड्री स्कूलों के बारे में बताया है उन सब स्कूलों को इस वर्ष के अंत तक विद्युत से जोड़ दिया जाएगा। 33 शौचालय मरम्मत के लायक हैं उनकी मरम्मत की राशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी।		
564	तारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.79) दि. 25-06-2018 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	(1) अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ करने के संबंध में नियम बनाने की कार्यवाही की जाना। (2) अतिथि शिक्षकों के मानदेय वृद्धि हेतु प्रस्ताव का परीक्षण किया जाना।	(1) जी हों। मंत्री-परिषद् से अनुमोदन उपरांत नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		
565	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.56 (प्रश्न क्रं.299) दि. 25-06-2018 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जबलपुर जिले में अनियमितता की दोषी पाई गई 07 अशासकीय शालाओं में से फीस प्रतिपूर्ति की राशि वसूली हेतु शेष 3 शालाओं से वसूली की जाना एवं उक्त अनियमित भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	शेष 3 शालाओं से राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है। अनियमित भुगतान के लिए दोष नोडल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सी.ई.ओ. जिला पंचायत जबलपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को निर्देश दिए गए हैं।		
566	अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.5) दि. 25-06-2018 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	जिला खरगोन में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत वर्ष 1998 से 2003 तक आरक्षण रोस्टर में उल्लेखित विभिन्न पदों में से अकाउंटेंट, एल.डी.सी.-1,2,3 व 4, जे.ई.-1 एवं 2 तथा ड्राफ्टमेन-2 के पदों पर भर्ती से संबंधित मूल नस्तियाँ जिला शिक्षा केन्द्र खरगोन में उपलब्ध न होने की कलेक्टर खरगोन द्वारा जांच की जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	जांच उपरांत प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
567	अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.232) दि. 25-06-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	प्रदेश में 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात पात्र पाए जाने पर सीधी भर्ती से नियुक्त प्राचार्यों को समयमान वेतनमान एवं व्याख्याता संवर्ग को तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता के संबंध में प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाना।	स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त प्राचार्यों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात पात्र पाए जाने पर समयमान वेतनमान एवं व्याख्याता संवर्ग को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता के संबंध में प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
568	अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्रं.272) दि. 25-06-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	(1) विधानसभा के प्रश्न क्र. 4700 दि. 20.03.18 के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को जारी कारण बताओं नोटिस के पश्चात् प्राप्त प्रतिवाद का परीक्षण कराया जाना। (2) विधानसभा प्रश्न क्र. 4700 दिनांक 20.03.18 के संदर्भ में जांच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) संबंधित का प्रतिवाद प्राप्त होकर परीक्षाधीन है। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होकर परीक्षाधीन है। जिसमें गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण के संबंध में जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत ही समुचित निर्णय लिया जायेगा।		
569	अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.405) दि. 25-06-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ श्री एस.के. मिश्रा द्वारा 05 संविदा शिक्षकों की नियम विरुद्ध पदस्थापना करने, निलंबन से बहाल करने, युक्तियुक्तकरण करने तथा स्थानांतरण करने की कलेक्टर राजगढ़ से जांच कराई जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
570	अतारांकित प्रश्न सं.77 (प्रश्न क्रं.407) दि. 25-06-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ कार्यालय द्वारा श्री प्रदीप चौहान, तत्कालीन लेखापाल को स्थानांतरण उपरांत कार्यमुक्त न किया जाकर वरिष्ठ कार्यालय को असत्य जानकारी देने के संबंध में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिवाद प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग भोपाल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। प्रतिवाद होने पर ही गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		
571	अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्रं.408) दि. 25-06-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	(1) संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल द्वारा सुश्री चित्रा व्यास, प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़ से प्राप्त स्पष्टीकरण पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन बुलवाया जाना। (2) जिला राजगढ़ के श्री सुभाष शर्मा, अध्यापक व श्रीमती सुषमा शर्मा सहा. अध्यापक के विरुद्ध संस्थित जांच का प्रतिवेदन बुलवाया जाना व जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) प्राप्त स्पष्टीकरण पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल से प्राप्त किया जा रहा है। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
572	अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.435) दि. 25-06-2018 (श्री आर.डी. प्रजापति)	जिला छतरपुर के शासकीय प्राथमिक शाला हटवारा में पदस्थ रहे श्री काशीप्रसाद साहू, सहा.शिक्षक द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दि. 31.12.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन दि. 03.08.17 का निराकरण किया जाना।	अभ्यावेदन दिनांक 03.08.2017 के निराकरण के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जून, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

सहकारिता विभाग

दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
573	अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्र.258) दि. 25-06-2018 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	(1) विधानसभा प्रश्न क्र. 3182 दि. 12.03.18 के संदर्भ में समितियों को प्रदाय की गई राशि के भुगतान की जांच की जाना । (2) जिला कटनी में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में धान एवं गेहूँ उपार्जन में अमानक खरीदी के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । (3) जिला कटनी में विगत तीन वर्षों में अमानक खाद्यान्न उपार्जन एवं भण्डारण किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रश्न क्र. 3182 दिनांक 12.3.2018 के संबंध में प्रश्नांश (ग) में समितियों को प्रदाय की गयी मदवार राशि के भुगतान की जांच जारी है । (2) अमानक खरीदी के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । (3) अमानक खाद्यान्न उपार्जन एवं भण्डारण के संबंध में जांच के निर्देश दिये गये हैं । जांच के परिणाम के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
574	अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्र.482) दि. 25-06-2018 (श्री सचिन यादव)	विगत पांच वर्षों में मा.मुख्यमंत्री व मा. सहकारिता मंत्री को फसल खरीदी के समय उपज के सही दाम न मिलने व अन्य अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	एक शिकायत में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है तथा एक अन्य शिकायत में प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।		